न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 997/2024

अनवान : –

1. मंगतराम पुत्र हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. गुरा देवी पत्नी हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
2. जनकरानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
3. कैलाशरानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
4. सुनीता रानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेराकार राज

निर्णय दिनांकः–08/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक हरदयाल के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरदयाल के नाम दर्ज है, जो की वादी का पिता है। हरदयाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में जो हक व हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ... दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा अरड़की सम्वत 2075–78 खाता स0 337/321, मृत्यु प्रमाण पत्र हरदयाल, शपथ पत्र बाबत वारिसान बहक हरदयाल दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरदयाल के नाम दर्ज है, जो की वादी का पिता है। हरदयाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में जो हक व हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हरदयाल के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरदयाल के नाम दर्ज है, जो की वादी का पिता है। हरदयाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में जो हक व हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक हरलाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337/321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803/339180 हिस्सा भूमि में से मृतक हरदयाल पुत्र माईयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 997 / 2024
अनवान : –

1. मंगतराम पुत्र हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. गुरा देवी पत्नी हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
2. जनकरानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
3. कैलाशरानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
4. सुनीता रानी पुत्री हरदयाल जाति कम्बोज निवासी दडबी तहसील व जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 997 सन 2024 निर्णय दिनांक -04/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अरडकी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 337 / 321 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 33.9180 है0 भूमि में से 15803 / 339180 हिस्सा भूमि में से मृतक हरदयाल पुत्र माईयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:30:20 IST
Reason: SelfAttested